UPKJ010020912026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी., कक्ष संख्या– 2, जनपद कन्नौज।
पीठासीन अधिकारी– रजनीश मोहन वर्मा, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP1672

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–772/2026

गौरव उर्फ राजा पुत्र बब्लू उर्फ सतेन्द्र जोशी,
निवासी–ग्राम मिरगांवा थाना गुरसहायगंज, जिला कन्नौज। ....**प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उ०प्र० राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

मुकदमा अपराध संख्या–209/2025
धारा–108 बी.एन.एस
थाना– गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज।

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **गौरव उर्फ राजा पुत्र बब्लू उर्फ सतेन्द्र** द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जेल में निरूद्ध है।

2. ऊपर वर्णित अभियोग में जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे उपरोक्त मुकदमा में साज कर झूंठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है। घटना दिनांक 18.04.2025 की सुबह 03.00 बजे बतायी गयी जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.04.2025 को रात्रि 21.03 बजे अंजली की मां द्वारा दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंजली की माता सुमन ने बताया कि मैंने पुत्री की शादी दिनांक 07.04.2025 को वीरू पुत्र सुनील निवासी औरंगाबाद जिला लखीमपुर खीरी के साथ की है।

Digitally signed by Rajneesh Mohan Verma
Date: 2026.06.17 17:34:38 IST
Reason: Bail Rejected
Location: Adj/ftc-2 Kannauj

प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी बताया कि दिनाक 15.04.2025 को परिवार में चचेरी बहन की शादी में अंजली अपने पति धीरू के साथ घर आयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंजली की मां सुमन द्वारा कहा गया कि अंजली को अभियुक्त द्वारा कोल्ड्रिंग में जहरीला पदार्थ खिलाया गया है जिससे अंजली की मृत्यु हो गयी है। प्रार्थी एक सीधे सादे परिवार का व्यक्ति है। प्रार्थी न ही अंजली के घर गया और न ही उससे किसी प्रकार की जहरीला पदार्थ कोल्ड्रिंग में नहीं पिलाया है और न ही उसने अंजली को कभी भी परेशान किया है और उसने अंजली को उकसाने वाले शब्द नहीं कहे है। अंजली की मां सुमन ने अंजली की शादी उक्त शादी से पूर्व फतेहगढ में की थी परन्तु शादी मे आपसी मतभेद होने की वजह से वह शादी छुटौती हो गयी। अंजली के घर वाले लोभी व लालची व्यति है इन्होने अंजली की शादी बिना उसकी मर्जी से धीरू पुत्र सुनील के साथ कर दी है जन वह चचेरी वहन की शादी मे घर आयी तब उसने अपने घर वालो से अपनी परेशानी व्यक्त की तब उसकी माता आदि ने उससे उल्टा सीधा बोला और जिससे वह क्षुब्ध होकर स्वंय जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी म्रत्यु हो गयी है। प्रार्थी को घटना से कोई सरोकार वास्ता नही है। घटना का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रार्थी का कोई भी आपराधिक इतिहास नही है। वह दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध चल रहा है। उसका अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों पर अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विरोध किया गया तथा कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही घृणित अपराध है। अभियुक्त द्वारा मृतका को शादी करने के लिये कहर परेशान/प्रताड़ित किया गया जिसके कारण मृतका द्वारा कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली है।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा सुमन देवी ने दिनांक 20.04.2025 को एक तहरीर संबंधित थाने में इस आशय की दी गयी कि दिनांक 07.04.2025 को मेरी पुत्री

अंजली की शादी धीरु पुत्र सुनील निवासी औरंगावाद जिला लखीमपुर खीरी के साथ हुयी थी दिनांक 15.04.2025 मेरी पुत्री अंजली उम्र 24 वर्ष अपने पति धीरु के साथ चचेरी बहन की शादी में आयी थी। चचेरी बहन की शादी 16.04.2025 को थी तथा पड़ोस में रहने वाले गौरव उर्फ राजा पुत्र बब्लू उर्फ सतेन्द्र जोशी का घर पर आना जाना था शादी के बाद से गौरव उर्फ राजा लगातार परेशान कर रहा था दिनांक 18.04.2025 को सुबह 3 बजे गौरव उर्फ राजा मेरे घर पर आया मेरी पुत्री अंजली बाहर वाले कमरे में सो रही थी। गौरव उर्फ राजा कोल्ड ड्रिंक साथ में लाया था, जिसमें जहरीला पदार्थ मिला हुआ था और मेरी पुत्री को बोला की आखिरी बार बात करनी है और मेरी पुत्री को जहरीला पदार्थ मिली हुई कोल्ड ड्रिंक पिला दी जिससे उसकी तबियत बिगड़ने पर चिल्लाई। मैं घर के बाहर लेटी थी। मेरी नीद खुली तो मैंने देखा गौरव उर्फ राजा तेजी से घर से बाहर की ओर भागा। मैंने अन्दर जाकर देखा तो कि मेरी पुत्री उल्टी कर रही है। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि गौरव आया था। मुझसे बात करने लगा और मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और बोला की अब तुम किसी की नहीं रहोगी। मैं अपनी पुत्री को लेकर तुरन्त तिर्वा मेडिकल कालेज ले गयी। जहां मेरी पुत्री की हालत नाजुक देख कर कानपुर के हैलट अस्पताल (L.L.K) रेफर कर दिया गया। जहां ईलाज के दौरान उसकी 19.04.2025 को सुबह 5 बजे मृत्यु हो गयी। मेरी पुत्री का पोस्टमार्टम हैलट अस्पताल थाना स्वरूपनगर कानपुर के द्वारा कराया गया। रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही की कृपा करे। वादिनी की तहरीर पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गई।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी तथा अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, पुलिस प्रपत्रों, केस डायरी एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त यह विदित होता है कि अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने

वादिनी मुकदमा की पुत्री अंजली को कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिसके परिणामस्वरूप वादिनी मुकदमा की पुत्री अंजली की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। उक्त के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट में भी विसरा में परिणामों में विष पाया गया है और विष दिये जाने के कारण मृतका की मृत्यु होने का तथ्य प्रकट हुआ है। उक्त विष दिये जाने का आरोप अभियुक्त पर है जिसके संबंध में घटना के समयी साक्षीगण को मृतका द्वारा दिया गया बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **गौरव उर्फ राजा पुत्र बब्लू उर्फ सतेन्द्र** की ओर से **मुकदमा अपराध संख्या–209/2025, धारा–108 भारतीय न्याय संहिता थाना–गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज** के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–17.06.2026

(रजनीश मोहन वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–1 कन्नौज।
(**J.O.CODE No–UP** 1672)